राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक/विज्ञापन/2014/1075-79 जयपुर,दिनांक :– 14.5.14

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रभावी होने के उपरान्त एवं राज्य के सभी राजकीय विभाग/संस्थानों द्वारा उक्त प्रावधानों के अनुरूप वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये जाने के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में भी मांग अनुरूप कार्य लागत इंगित वर्गीकृत विज्ञापन यथा– माल और सेवाओं के उपापन तथा संकर्मों के उपापन नियमों के अन्तर्गत जारी किया जाना सुनिश्चित करें। वर्गीकृत विज्ञापनों के अन्य विशिष्ट प्रकरणों में संबंधित विभाग/संस्थान के निर्देशों की पालना की जावे।

उक्त नियमों में निहित क्षेत्रीय समाचार पत्र के लिए संबंधित जिले से प्रकाशित जिला स्तरीय अथवा संबंधित क्षेत्र से प्रकाशित राज्य स्तरीय समाचार पत्र के संस्करण को विज्ञापन जारी किये जा सकेंगे।

अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

14/5/2014
निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त निदेशक
2. संयुक्त निदेशक (विज्ञापन)
3. सहायक निदेशक (विज्ञापन) 14.5.14
4. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी (विज्ञापन)
5. रक्षित पत्रावली

निदेशक